

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :-221/17  
संस्थापन दिनांक:-07/04/17

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

1. शोभाराम पिता गेन्दया तायवाड़े, उम्र 45 वर्ष
2. प्रदीप उर्फ सोनू पिता शोभाराम तायवाड़े, उम्र 19 वर्ष  
 दोनों निवासी उमरिया,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 07.04.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22.03.2017 को रात करीब 11:00 बजे, थाना आमला से 20 किमी पूर्व में ग्राम उमरिया आमला स्थित फरियादी के घर के सामने गली में फरियादी नरेंद्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी नरेंद्र को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ढोल बजाने का काम करता है। दिनांक 22.03.2017 के रात करीब 9 बजे वह उसके घर के सामने खड़ा था। तभी किसी गांव का कोई व्यक्ति आर्डर लेके उसके घर तरफ आ रहा था जिसे उसके चाचा शोभाराम ने उसे अपने घर तरफ बुला लिया जिस पर उसने अपने चाचा को कहा कि क्यों ऐसा करते हो हमारा धंधा खराब करते हो। इसी बात को लेकर अभियुक्त शोभाराम ने उसे गंदी गंदी गालियां दी। फरियादी द्वारा अभियुक्त को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त शोभाराम ने उसे हाथ मुक्के से मारपीट की। तभी अभियुक्त सोनू उर्फ प्रदीप वहां आया और उसने भी फरियादी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर किसी धारदार चीज से उसके बांये हाथ में मारा जिससे उसे बांये हाथ की कलाई में चोट लगकर खून निकलने लगा। अभियुक्तगण ने उसे हाथ मुक्को से मारपीट कर जमीन में गिरा दिया। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान

से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र. 170/17 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त प्रदीप उर्फ सोनू से एक धारदार चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 22.03.2017 को रात करीब 11:00 बजे, थाना आमला से 20 किमी पूर्व में ग्राम उमरिया आमला स्थित फरियादी के घर के सामने गली में फरियादी नरेंद्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी नरेंद्र को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

### **।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।**

6 नरेंद्र (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना लगभग 15-20 दिन पुरानी होकर ग्राम उमरिया स्थित उसके घर के सामने की रात के 9 बजे की है। घटना के समय एक व्यक्ति उसके घर बाजे बजाने का आर्डर लेकर आया था। आर्डर लेने की बात पर से अभियुक्तगण ने उसके साथ विवाद कर उसे गंदी गंदी गालियां देकर उसके साथ धक्का मुक्की की थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि धक्का मुक्की से वह लकड़ी पर गिर गया था जिससे लकड़ी का चिरा

हुआ भाग उसके हाथ में लग गया था जिससे उसके बांये हाथ में चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया था। उक्त साक्षी ने अभियोजन की संपूर्ण घटना का समर्थन नहीं किया है जिस कारण साक्षी से न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि दिनांक 22.03.2017 को अभियुक्त प्रदीप ने विवाद के दौरान उसे चाकूनुमा धारदार चीज से बांये हाथ में मारा था जिससे उसे चोट आयी थी। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आयी थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य घटना दिनांक को बाजे बजाने के आर्डर को लेकर वाद विवाद एवं धक्का मुक्की होना प्रमाणित पाया जाता है परंतु युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी नरेंद्र को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी नरेंद्र को धारदार वस्तु से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण शोभाराम एवं प्रदीप उर्फ सोनू को धारा 324 अथवा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्त शुदा एक धारदार चाकू अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त शुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

